



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-10.03.2025

एसओजी शामली व थाना आदर्श मण्डी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना आदर्श मण्डी क्षेत्रान्तर्गत हुई मोटरसाइकिल लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए लूट की घटना में शामिल 02 लुटेरे पुलिस मुठभेड में घायल व 01 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटी हुई मोटर साइकिल, मोबाइल व अवैध तमंचा व कारतूस बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 26.02.2025 को शाहवेज पुत्र इस्तफा निवासी ग्राम हसनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली रात्रि करीब 09.30 बजे ड्यूटी करने के बाद अपनी मोटर साइकिल से अपने गांव जा रहा था। ग्राम बधैव से आगे तथा ग्राम मालैण्डी से पहले बाग के बराबर वाले रास्ते पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल व मोबाइल छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आदर्श मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। थाना आदर्श मण्डी पुलिस एवं गठित टीमों द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये घटनास्थल के आसपास जानकारी करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये तथा साक्ष्यों के आधार पर लगातार अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 10.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी शामली व थाना आदर्श मण्डी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में आदर्श मण्डी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बधैव व मालेण्डी के बीच हुई मोटरसाइकिल लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त 02 अभियुक्तों 1.भूपेन्द्र पुत्र वासुदेव निवासी ताना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली 2.विक्रान्त पुत्र श्यामवीर निवासी ग्राम जगनपुर थाना कैराना जनपद शामली को पुलिस मुठभेड में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में बधैव मालेण्डी रोड के पास से लूटी हुयी मोटरसाइकिल व बढौत से छीने गये मोबाइल व 02 अवैध तमंचा मय 02 खोखा व 04 जिन्दा कारतूस सहित घायल/गिरफ्तार करने व 01 अन्य अभियुक्त आकाश पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम ताना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को लूटे गये मोबाइल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मुठभेड में घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना आदर्श मण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-


- 1.भूपेन्द्र पुत्र वासुदेव निवासी ताना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली (घायल)।
- 2.विक्रान्त पुत्र श्यामवीर निवासी ग्राम जगनपुर थाना कैराना जनपद शामली (घायल)।
- 3.आकाश पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम ताना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.लूटी हुई मोटर साइकिल प्लैटिना रजि0 नं0 UP19L2177
- 2.लूटा गया मोबाइल रैडमी (अभियुक्त आकाश से बरामद)
- 3.अवैध 02 तमंचे 315 बोर मय 02 खोखा व 04 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 2.एक मोबाइल बढौत से छीना हुआ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्र0नि0 श्री राजेन्द्र गिरी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल ।
- 2.उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह प्रभारी एसओजी टीम जनपद शामिल ।
- 3.उ0नि0 श्री राहुल सिसौदिया एसओजी टीम जनपद शामिल ।
- 4.उ0नि0 श्री मनेन्द्र सिंह थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल ।
- 5.उ0नि0 श्री खूब सिंह थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल ।
- 6.है0का0 शौकीन राणा थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल ।
- 7.है0का0 विनीत कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल ।
- 8.है0का0 ललित कुमार एसओजी टीम जनपद शामिल ।
- 9.है0का0 हरविन्द्र कुमार एसओजी टीम जनपद शामिल ।
- 10.है0का0 प्रदीप एसओजी टीम जनपद शामिल । ।
- 11.का0 मनीष एसओजी टीम जनपद शामिल ।
- 12.का0 अनुज कुमार एसओजी टीम जनपद शामिल ।
- 13.का0 राममूर्ति तेजा एसओजी टीम जनपद शामिल ।
- 14.का0 निखिल एसओजी टीम जनपद शामिल ।
- 15.का0 अशोक कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल



थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 110 ग्राम चरस बरामद ।

आज दिनांक 10.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 110 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.नफीस उर्फ राजा पुत्र सगीर निवासी मौहल्ला रायजादगान थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 110 ग्राम चरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना कांधला जनपद शामली।
- 2.है0का0 सचित कुमार थाना कांधला जनपद शामली।
- 3.है0का0 तनुज कुमार थाना कांधला जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 10.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.सामिर पुत्र गुलजार निवासी ग्राम गेलहेवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.का0 सुमित थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध स्मैक, इलैक्ट्रॉनिक कांटा, नगदी बरामद:-

दिनांक 10.03.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्करों को अवैध 20 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:

1.सरवर पुत्र लियाकत निवासी ग्राम बसेडा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 20 ग्राम स्मैक।

2.इलैक्ट्रॉनिक कांटा।

3.नगदी 1430 रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री सतीश प्रकाश थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री सुभाषचंद थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 नितिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4.है0का0 कुलवंत थाना कैराना जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 20 पच्चे देशी शराब बरामद:-

दिनांक 10.03.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 20 पच्चे देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. प्रिंस उर्फ मोनू पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 20 पच्चे देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री राघवेन्द्र थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. है०का० अशोक कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. हो०गा० संजीव कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी शराब व शराब तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद:-

आज दिनांक 10.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रासमेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 100 लीटर देशी शराब व शराब तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.रामसेवक पुत्र भवर सिंह निवासी ग्राम खेडी जुनारदार थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अवैध 100 लीटर देशी शराब।
- 2.शराब तस्करी में प्रयुक्त मोटर साइकिल रजि0 नं0- UP 19 A 7675

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली
- 2.है0का0 मनोज कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली
- 3.है0का0 आशीष कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली
- 4.है0का0 आशीष कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 05.600 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद:-

आज दिनांक 10.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ/अवैध शराब निर्माण/बिक्री/तस्करों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर 01 मादक पदार्थ तस्कर को 05.600 किलोग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही गई।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अमित पुत्र सुरेशचंद निवासी नालापटरी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 356/17 धारा 392/411/120बी भादवि0 थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 387/17 धारा 356 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 694/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 4.मु0अ0सं0 387/2020 धारा 13 जुआ अधि0 थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 5.मु0अ0सं0 400/23 धारा 13 जुआ अधि0 थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 6.मु0अ0सं0 524/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 7.मु0अ0सं0 129/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 05.600 किलोग्राम गांजा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.म0उ0नि0 मोनिका जिन्दल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 2.है0का0 आशीष कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 3.का0 अंकित मावी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पान्थपुरा में धार्मिक सद्भाव बिगाडने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि दिनांक 09.03.2025 को वादी श्री पीका बंजारा पुत्र सुनपत सिंह निवासी ग्राम पान्थपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा गांव के व्यक्ति राजू पुत्र रमेश निवासी ग्राम पान्थपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध धार्मिक सद्भाव बिगाडने के के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 10.03.25 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ग्राम पान्थपुरा में धार्मिक सद्भाव बिगाडने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार वांछित अभियुक्तगण-

1. राजू पुत्र रमेश निवासी ग्राम पान्थपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. है0का0 आशीष कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. है0का0 आशीष कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. है0का मनोज कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।
5. है0का0 मुकेश कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 8,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.वर्ष 2012 में अभियुक्त रिजवान उर्फ बहरा पुत्र अब्दुल रहीम उर्फ अनीस निवासी मौहम्मदपुर राई थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 17/2012 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.वर्ष 1992 में अभियुक्त सब्बल पुत्र यामीन नि0 मौहल्ला अकबराबाद बिजनौर जनपद बिजनौर के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 280/1992 धारा 5क(10)8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.वर्ष 2002 में अभियुक्त संजीव उर्फ पन्दू पुत्र परसादा निवासी सैनपुर थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 311/2002 धारा 25 आर्मस् एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.वर्ष 2002 में अभियुक्त बगीचा सिंह पुत्र बल्लकार निवासी ग्राम डोकपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 398/2002 धारा 39,49 विद्युत अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI